न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 160 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** मुरली यादव व 11 अन्य

मु0अ0सं0–**86** सन्–**2023**

धारा–147, 149, 323, 308, 325, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–चील्ह, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **मुरली यादव, जगदीश प्रसाद यादव, फूलचन्द्र यादव, पोपे उर्फ कन्हैया लाल यादव, दीनानाथ, पारस नाथ यादव, अजय यादव उर्फ डाक्टर, श्यामू यादव उर्फ उमाशंकर यादव, गामू यादव उर्फ गणेश प्रसाद, आकाश यादव, विकास यादव** व **लालजी यादव** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 29.07.2023 को समय करीब 06:00 बजे सुबह बहदस्थान मवैया, क्षेत्रान्तर्गत थाना चील्ह, जिला मीरजापुर में आप लोगों ने एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव कायम कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव, वादी मुकदमा के भाई कक्कू यादव, शम्भू यादव, भतीजा संजय यादव, भतीजी निशा व अन्य परिवारीजन अंकित यादव, आशीष यादव, चन्दा देवी, पर्वती देवी व गुड्डी देवी को लाठी–डण्डे व कट्टे की मुठिया से मारकर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई कक्कू यादव, शम्भू यादव, भतीजा संजय यादव व भतीजी निशा को लाठी–डण्डे व कट्टे की मुठिया से मारा–पीटा गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आयी। यदि इन चोटों से कक्कू यादव, शम्भू यादव, संजय यादव या निशा की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–308 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर वादी मुकदमा के भाई कक्कू यादव, शम्भू यादव, भतीजा संजय यादव व भतीजी निशा को लाठी–डण्डे व कट्टे की मुठिया से मारकर स्वेच्छया गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उन्हें घोर उपहति कारित हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–325 सपठित धारा–149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव के घर का खपरैल, कुर्सी, दरवाजा आदि तोड़कर रिष्टि कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–427 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव व उसके परिवारीजनों को उपहति कारित करने के उद्देश्य से उसके घर में घुसकर गृह–अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–452 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव व उसके परिवारीजनों को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार यादव व उसके परिवारीजनों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 28.10.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 28.10.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 – **160 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** मुरली यादव व 11 अन्य

मु0अ0सं0–**86** सन्–**2023**
धारा–147, 149, 323, 308, 325, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–चील्ह, जिला–मीरजापुर।

28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण मुरली यादव, जगदीश प्रसाद यादव, फूलचन्द्र यादव, पोपे उर्फ कन्हैया लाल यादव, दीनानाथ, पारस नाथ यादव, अजय यादव उर्फ डाक्टर, श्यामू यादव उर्फ उमाशंकर यादव, गामू यादव उर्फ गणेश प्रसाद, आकाश यादव, विकास यादव व लालजी यादव व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण मुरली यादव, जगदीश प्रसाद यादव, फूलचन्द्र यादव, पोपे उर्फ कन्हैया लाल यादव, दीनानाथ, पारस नाथ यादव, अजय यादव उर्फ डाक्टर, श्यामू यादव उर्फ उमाशंकर यादव, गामू यादव उर्फ गणेश प्रसाद, आकाश यादव, विकास यादव व लालजी यादव के विरूद्ध धारा–147, 323/149, 308/149, 325/149, 427, 452, 504, 506 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण मुरली यादव, जगदीश प्रसाद यादव, फूलचन्द्र यादव, पोपे उर्फ कन्हैया लाल यादव, दीनानाथ, पारस नाथ यादव, अजय यादव उर्फ डाक्टर, श्यामू यादव उर्फ उमाशंकर यादव, गामू यादव उर्फ गणेश प्रसाद, आकाश यादव, विकास यादव व लालजी यादव के विरूद्ध धारा 147, 323/149, 308/149, 325/149, 427, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.11.2025 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।